भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 34
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच

34. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा हाल ही में कथित छूट प्रदान करने और बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीसीआई ने मोबाइल फोन जैसी वस्तुओं पर कतिपय विक्रेताओं के साथ विशेष समझौता करने के लिए अपारदर्शी और अनुचित व्यवहार के लिए प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों/कंपनियों को चेतावनी जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ई-कॉमर्स कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ये सभी ई-कॉमर्स कंपनियां भी सभी प्रकार की कुप्रथाओं में लिप्त हैं, जिससे उनके व्यापार मॉड्यूल के माध्यम से सरकार को भारी जीएसटी और आयकर का नुकसान हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(च) छोटे विक्रेताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) दिल्ली व्यापार महासंघ द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(क) के अंतर्गत फाइल की गई सूचना के आधार पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, सीसी अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रा.लि. और एमेज़ॉन सेलर एंड सर्विसिज प्राइवेट लि. के विरुद्ध मामले में दिनांक 13.01.2020 को एक आदेश पारित किया और सीसीआई के महानिदेशक को उक्त मामले में जांच करने के निर्देश दिए। यह आदेश सीसीआई की वेबसाइट (url : https://www.cci.gov.in/sites/default/files/40-of-2019.pdf) पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) और (ग): जी, नहीं।

(घ) से (च): प्रश्न नहीं उठता।

****